

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 141/2025

GCMS NO- 2025/300

उनवान - बलबीर सिंह पुत्र श्री सरदारा राम जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.  
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)


अधिवक्ता प्रार्थीगण - श्री सुभाष कुमावत

आदेश

निर्णय दिनांक 23/12/25


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जमाबन्दी, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति तथा तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1702 दिनांक 09.07.2025 के साथ संलग्न पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की रिपोर्ट मय स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में बेसरड़ा की जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 123 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बेसरड़ा	जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 10 के खसरा नम्बर 1016/680, 1019/692, 458, 498, 512, 513, 514, 690, 692, 693 व 694 कुल किता 11 कुल रकबा 3.23 हैक्टेयर	बल्लूराम पुत्र सरदाराराम	बलबीर सिंह पुत्र सरदारा राम

  
(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
जिला झुंझुनूं

क्रमांक :- राजस्व/2015/443  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. बलबीर सिंह पुत्र श्री सरदारा राम जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं